छत्तीसगढ़ शासन

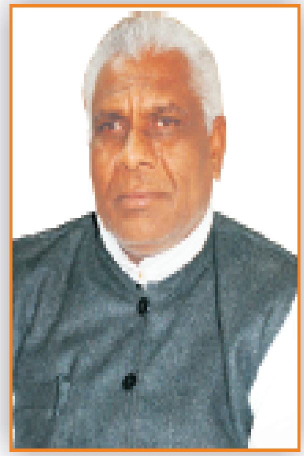

डॉ. रमन सिंह
मान. मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

श्री पुन्नूलाल मोहिले
मान. मंत्री
खाद्य, नागरिक्क आपूर्ति
एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग,
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

छत्तीसगढ़ संवाद

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2017—18 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्याक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/आयोग की जानकारी संकलित की गई है। यह उनके अनुरोध पर किया गया है।

अपर मुख्य सचिव,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1.	विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री पुन्नूलाल मोहिले

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	श्री सुनील कुमार कुजूर
सचिव	:	श्री आशीष कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी
अवर सचिव	:	श्री अरविन्द कुमार भार्गव

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्री आशीष कुमार भट्ट

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	आध्यक्ष - मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष - श्री सुनिल कुमार सदस्य सचिव - श्री जे.एस.विरदी

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी

अपर मुख्य सचिव	:	श्री सुनील कुमार कुजूर
उप सचिव	:	श्री जी.आर.मालवीय
अवर सचिव	:	श्री ए. केरकेट्टा

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

आयुक्त सह संचालक, 20 सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्री आशीष कुमार भट्ट

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति	:	आध्यक्ष - मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष - श्री खूबचंद पारख

विषय-सूची

क्रं.	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
1	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	01–13
		2. राज्य योजना आयोग	14–36
2	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन	1. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	37–39

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, इन्द्रावती-भवन, नया रायपुर

भाग - एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–एक में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 27 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु नौ संभाग है जिनका विवरण परिशिष्ट–दो में दर्शाया गया है।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) कारखाना अधिनियम,1948

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ़ राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श कार्यालय, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं नीति–आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि– उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल–संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है। इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्याय के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल कर प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा जाता है।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई–दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2017–18 की अवधि में राज्य शासन की वार्षिक बजट 2017–18 की जानकारी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को क्रमशः राष्ट्रीय आय एवं राज्यीय आय के अनुमान तैयार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 74 वें दौर में "सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण" विषय पर जुलाई 2016 से जून 2017 तक दो चरणों में सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रथम चरण में इ.सी.फ्रेम के 1210 उद्यमों का भौतिक सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया एवं द्वितीय चरण में एम.सी.ए. फ्रेम के 1410 प्रतिष्ठान तथा इ.सी.फ्रेम के 627 प्रतिष्ठानों से विस्तृत अनुसूची 2.35 में डाटा संग्रहण का कार्य किया गया।

राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण के 75वें दौर में घरेलू उपभोक्ता व्यय, घरेलू उपभोग के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय विषय पर जुलाई 2017 से जून 2018 तक कुल आबंटित 768 प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। जिसमें प्रथम उपदौर के 184 एवं द्वितीय उपदौर के 184 प्रतिदर्शों हेतु विस्तृत अनुसूची 0.0, 1.0, 25.0 एवं 25.2 में डाटा संग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा तीसरे उपदौर हेतु आबंटित 184 प्रतिदर्शो का सर्वे कार्य प्रगति पर है।

2.5 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य

राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कार्य भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत किया जाता हैं।

उक्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं –

क्षेत्र	जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)
ग्रामीण	जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी	मुख्य कार्य० अधिकारी, जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव
नगरीय	–तदैव––	––	1.आयुक्त, नगर–निगम, या उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी। 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
संस्थागत	–तदैव––	––	1.समस्त शास. अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी 2.राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी

जन्म–मृत्यु पंजीयन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार प्रशासनिक व्यवस्था की गई है–

पदनाम	पदाधिकारी	अधिकारिता
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संयुक्त संचालक (जीवनांक)	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
उप संचालक (जीवनांक)	उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
सहायक संचालक (जीवनांक)	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	उनके राजस्व संभाग के भीतर
कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि. जिला पंचायत	सहा० अति ० मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	उनके जनपद पंचायत के भीतर

जन्म-मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन के प्रयास -

छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के सुदृढीकरण को एक अभियान के रूप में लिया गया है। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर मे वृद्धि एवं सरलीकरण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :–

1. राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।
2. विलंबित पंजीयन शुल्क को वर्ष 2014 से आगामी पाँच वर्ष तक 1 रुपया किया गया है, जिसका वहन भी राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा अर्थात जन्म और मृत्यु का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क किया गया है।
3. जन्म और मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन–जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया, साथ ही मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं पंजीयन इकाइयों का सघन निरीक्षण किया गया।
4. विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र (नोटरी) के स्थान पर स्व–प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है। जिसे ए.एन.एम. / एम. पी.डब्ल्यू. / स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।

5. उपरोक्तानुसार किए गए प्रयासों के फलस्वरूप निम्नानुसार उपलब्धियां रही हैं :–

जन्म पंजीयन का स्तर–वर्ष 2013–81.7%, 2014–132%, 2015–102% 2016–110.34%

मृत्यु पंजीयन का स्तर–वर्ष 2013–70.9%, 2014–86.74%, 2015–86% 2015–87.57%

साथ ही वर्ष 2017 के अब तक की रिपोर्ट के अनुसार जन्म पंजीयन 98 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन 77 प्रतिशत होना आंकलित किया गया है (25 जन. 2018)

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिको के परिवारिक आय–व्ययों का पायलेट सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो–शिमला के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार है :–

क्रमांक	जिला	बाजार
1	रायपुर	I- गोल बाजार
		II- बीरगांव
2	कोरबा	I- निहारिका
		II- कोसाबाड़ी
		III- ट्रांसपोर्ट नगर
3	दुर्ग (भिलाई)	I- आकाशगंगा
		II- केम्प–2

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2017–18 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (फरवरी 2018 में प्रस्तावित)

(2) छत्तीसगढ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2016–17(।)

(3) छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना वर्ष 2014

(4) छत्तीसगढ एक दृष्टि में 2016

(5) छत्तीसगढ का सांख्यिकी संक्षेप 2014–15

(6) छत्तीसगढ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2013–14 (लेखा), 2014–15 (पु.अनु.), 2015–16 (बजट अनुमान).

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 16 वीं लोकसभा हेतु (लोकसभा, राज्यसभा) 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में कुल राशि 320.00 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 305.46 करोड़ की लागत से 8432 कार्य स्वीकृत किये गये है।

(ग) इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से रूपये 1.00 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास हेतु राशि रूपये 75.00 लाख एवं माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा राशि रूपये 25.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते है। वित्तीय वर्श 2017–18 हेतु 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में राशि रू. 91.00 करोड़ के विरूद्ध 45.36 करोड़ की लागत से 1964 कार्य स्वीकृत किये गये है।

(घ) राज्य मे होने वाले प्रत्येक जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन की वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी की वार्षिक रिपोर्ट (AVS) तैयार की जाती है।

(ङ.) राज्य मे होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणो का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की (MCCD) वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

(च.) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ जिला कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण निम्नानुसार दिया गया :–

स. क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
01	Demography and Population Studies	05 दिवस	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, ग्रेटर नोयडा, (उ.प्र.)	03
02	Sampling Methods and Techniques used in large scale sample survey	05 दिवस		03
03	Training of Trainers (TOT) in National Account Statistics	05 दिवस		01
04	वेतन निर्धारण, अवकाश नियम एवं अवकाश का नकदीकरण	03 दिवस	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर	05
05	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन	02 दिवस		03
06	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक दिवसीय कार्यशाला	01 दिवस		01
07	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 छत्तीसगढ़ अवकाश नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	03 दिवस		04

स. क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
08	लेखा परीक्षण, अंकेक्षण एवं उसका पालन प्रतिवेदन पर प्रशिक्षण	03 दिवस	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर	03
09	Store purchase rules and tender process	03 दिवस		02
10	Office Procedure and Financial Management	03 दिवस		03
11	Stress management	03 दिवस		02
12	Store Purchase rules and tender process including RFD	03 दिवस		08
13	Gender Issues and Gender Budgeting	03 दिवस		03
14	Motivation of Government Servant and Improve their Behavioral Skills	03 दिवस		03
15	Computer training for Modern Office management and E-kosh and Online Bill submission	12 दिवस		04

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2017–18 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है –

(राशि रू. हजार में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2017–18 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2017)	वर्ष 2017–18 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
1430 – जन्म–मृत्यु आंकड़ों का संकलन	13544	28830
0512 – राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	7881	19430
8048 – राज्य सांख्यिकी संस्थान	152329	273274
योग	**173754**	**321534**
2987 – बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	12050	19960
योग	**185804**	**341494**

भाग - तीन

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नवत राज्य / केन्द्र प्रवर्तित / केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित की जा रही है :–

योजना विवरण	वर्ष 2017–18 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2017)	वर्ष 2017–18 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य–आयोजना		
6562 – जन्म–मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	431	2710
6564 – सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	158	480
6293 – सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	70	340
केन्द्र प्रवर्तित योजना		
5501 – जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1136	3977
केन्द्र क्षेत्रीय योजना		
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	141	6540
योग	**1936**	**14047**

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग - पांच

अभिनव योजनाएँ

निरंक

भाग - छः

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष-2017-18 :-

विभागीय जानकारी के आधार पर **"छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18"** तैयार किया जा रहा हैं, जो कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जावेगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है ।

2. आय व्ययक संक्षेप में :-

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, विभाग द्वारा इस प्रकाशन को वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया।

3. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011-2012 से 2016-2017 (अ) :- इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान– सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल–प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2014-15 :-

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण ऑकडों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है। राज्य/जिलों के संदर्भ में वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2016 :-

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि ग्रामीण एवं विकास, जल, परिवहन एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर ऑकड़ें प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे राज्य की विकास की अवधारणा का प्रबोधन किया जा सके ।

7. राज्य बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण-वर्ष 2014-15 (लेखा), 2015-16 (पु.अ.) एवं 2016-17 (आ.अ.) :-

प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

8. छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना वर्ष 2014 :- इस प्रकाशन में छत्तीयगढ़ राज्य के शासकीय, नगरीय, ग्रामीण (पंचायत) स्थानीय–निकायों, विकास प्राधिकरण/अभिकरणों, निगमों, मंडलों एवं विश्वविद्यालयों के कर्मियों का गणना कर तत्संबंधी विश्लेषण एवं संबंधित तालिकाऐं प्रकाशित की जाती है।

परिशिष्ट - एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी (01-01-2018 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	1	1	0	1
2	अपर संचालक	1	0	1	1	0	1
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	2	0	2
4	उप संचालक	6	27	33	5	14	19
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक योजना/सांख्यिकी	13	51	64	6	28	34
	तृतीय श्रेणी						
6	सहा.प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	158	27	92	119
8	खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	9	59	68
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	6	54	60	6	31	37
10	अधीक्षक	1	0	1	0	1	1
11	आशुलिपिक ग्रेड–2	1	0	1	0	0	0
12	आशुलिपिक ग्रेड–3	1	0	1	1	0	1
13	स्टेनोटायपिस्ट	4	18	22	0	0	0
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	0	0	0
15	के.पी.ओ.	2	0	2	0	0	0
16	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	0	1	0	0	0
17	सहायक ग्रेड–1	4	7	11	2	3	5
18	सहायक ग्रेड–2	5	27	32	3	20	23
19	सहायक ग्रेड–3	20	61	81	2	8	10
20	वाहन चालक(नियमित)	5	7	12	1	5	6
20A	वाहन चालक (सीधी भर्ती से स्वीकृत पदों की पूर्ति कले.दर से)	–	–	–	3	–	3
20B	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि अंतर्गत कले.दर पर भर्ती)	3	20	23	3	10	13
	चतुर्थ श्रेणी						
22	जमादार	1	0	1	1	0	1
23	भृत्य (नियमित)	15	61	76	5 (2 प्रतिनियुक्ति)	28	33
23A	भृत्य (कलेक्टर दर के माध्यम से भरे पद)	–	–	–	7	3	10
24	चौकीदार	2	0	2	2	0	2
25	स्वीपर/फर्राश/वाटरमैन (कले. दर)	5	36	41	4	24	28
	कुल योग	**152**	**656**	**808**	**91**	**326**	**417**

परिशिष्ट - दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्य विवरण

1- I. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2- I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण .	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. जिलेवार सामाजार्थिक विकास संकेतांक 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
II. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3- I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. छटवीं आर्थिक गणना 2. स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी 3. रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण 4. अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन
4- I. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
II. पूंजी निर्माण	1. छ.ग.राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
III. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण 2. राज्य एवं स्थानीय स ंस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आय–व्यय संक्षेप में तैयार करना
IV. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण 3. छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन

5- I. औद्योगिक, खनिज, ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं ऊर्जा सांख्यिकी 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
6. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म– मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 4. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन
7. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
8. I. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
II. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
9. I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
II. सूचना का अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

राज्य योजना आयोग

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ का 2014 में पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में आयोग में मान. मंत्रीगणों के प्रतिनिधित्व के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से चार प्रमुख, कृषि, उद्योग, समाजिक तथा समाज सेवा क्षेत्रों से अशासकीय सदस्य मनोनीत किये गये। पुनर्गठन पश्चात आयोग द्वारा वार्षिक योजनाओं के निर्माण, जो कि योजना आयोग, भारत सरकार के नीति आयोग में परिवर्तित होने के बाद से नही किया जा रहा है, के साथ–साथ शोध, अध्ययन, नीति निर्माण, गोष्ठियों, कॉनक्लेव से जुड़े विषय विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट के आधार पर विभागों को सुझाव देना जैसे कार्य किये जा रहे हैं। राज्य योजना आयोग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैः–

1. राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के समावेशी विकास में इसके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना,
2. राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक कारणों को इंगित करना, योजनाओं के स फ ल क्रियान्वयन हेतु उसका समाधान ढूंढ़ना तथा उपयुक्त सुझाव प्रदान करना,
3. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय तथा सामाजिक असंतुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव देना,
4. राज्य की दीर्घ अवधि एवं वार्षिक योजना बनाना तथा समयानुसार नियोजन के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) करना,
5. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गठित विभागों के विभागीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करना,
6. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनरावलोकन करना तथा नीतियों और उपयोग में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरूरी हो,
7. विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन को गति देते हुए ग्राम स्तर से सूक्ष्म नियोजन करने के लिए जिलों का क्षमता विकास एवं क्रियान्वयन के लिए सहयोग करना,
8. कार्यों के उचित संपादन के लिए टॉस्क फोर्स, कार्यकारी समूह/आर्थिक एवं शोध संस्थाओं/सलाहकारों के माध्यम से ऐसे अध्ययन, सर्वेक्षण एवं शोध जैसा भी आवश्यक हो करवाना,
9. नियोजन एवं विकास की प्रणाली में आवश्यक संशोधन इंगित करना, तथा
10. ऐसे अन्य कार्य, जो राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द किये जायें।

उपर्युक्त दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में राज्य योजना आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यो का संपादन किया जा रहा है।

विभागों के लिये नीति निर्माण का कार्य

Policy formation for the Departments

राज्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अनुरोध पर उनके विभाग की नीति निर्माण का भी कार्य किया जाता है। अब तक राज्य योजना आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिये 'खेल नीति' एवं 'युवा नीति' का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। वर्तमान में आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के लिये विभाग के साथ मिलकर प्रदेश की 'दिव्यांगजन नीति' तैयार की जा रही है। आयोग द्वारा तैयार की गई एवं तैयार की जा रही प्रारूप नीतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. खेल नीति

राज्य योजना आयोग द्वारा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुरोध पर उनके लिये छत्तीसगढ़ की प्रारूप खेल नीति तैयार की गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विभागों से इनपुट प्राप्त कर आवश्यक संशोधन करते हुये प्रदेश की खेल नीति की घोषणा कर दी गई है।

2. युवा नीति

राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदेश की प्रारूप युवा नीति तैयार कर खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सौंपी गई है। युवा नीति तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया राज्य योजना आयोग द्वारा की गई। प्रदेश की युवा नीति, प्रदेश के युवाओं, जनसामान्य, विषय विशेषज्ञों संबंधित संस्थाओं तथा नागरिक, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से तैयार की गई। युवाओं एवं जन सामान्य से "युवा पोर्टल", फेसबुक, ट्विटर, ईमेल के माध्यम से ऑनलाईन, सुझाव प्राप्त किये गये। उच्च शिक्षा से जुड़े सभी शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से विचार प्राप्त करने तथा युवा पोर्टल के माध्यम से विचार देने की प्रक्रिया को समझाने हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्वामी विवेकानंद युवा विकास केन्द्रों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएं स्वैछिक रूप से सेवा प्रदान करने वाले युवाओं के माध्यम से की गई। विभिन्न माध्यमों एवं युवाओं से 12 हजार से अधिक विचार प्राप्त हुये जिनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर प्रारूप युवा नीति में सम्मिलित किया गया।

3. दिव्यांगजन नीति

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के अनुरोध पर प्रदेश की दिव्यांगजन नीति तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अनुरूप समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की प्रारूप दिव्यांगजन नीति तैयार किये जाने हेतु ऑनलाईन तथा विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तथा सभी हितधारकों से विचार/सुझाव प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।

सभी हितधारकों तथा प्रभावित दिव्यांगजनों से सीधे संवाद किये जाने हेतु आयोग द्वारा विषयवार हितधारकों से दिव्यांगजनों की उपस्थिति में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य, शीघ्र पहचान तथा रोकथाम, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, बीमा सुविधाओं आदि विषयों पर संबंधित हितधारकों के साथ संवाद किया जा चुका है। जन सामान्य से ईमेल, फेसबुक एवं दूरभाष द्वारा सुझाव देने की व्यवस्था भी की गई है।

विभिन्न विषयों पर अध्ययन प्रायोजित करना
Sponsoring Studies on Different Subjects

राज्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर नीति निर्माण हेतु, वस्तु–स्थिति के आंकलन, प्रदेश में संचालित योजनाओं के मूल्यांकन, नवप्रवर्तनों इत्यादि के लिये क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन करवाये जाते हैं। राज्य योजना आयोग द्वारा अभी तक निम्नांकित अध्ययन प्रायोजित किये गये हैं :–

i. छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की सूक्ष्म कृषि का आंकलन

ii. छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अनुदान की मात्रा

iii. रायपुर, छत्तीसगढ़ के विद्यालयीन विद्यार्थियों में सीखने की दिव्यांगता के स्वरूप एवं व्यापकता का मूल्यांकन

iv. स्वामी विवेकानंद युवा विकास केन्द्र– प्रेरण इकाई ;च्पसवजद्ध (विशेष संदर्भ–बिलासपुर जिले का तखतपुर विकासखंड)

"छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की सूक्ष्म कृषि का आंकलन", छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अनुदान की मात्रा" तथा "रायपुर, छत्तीसगढ़ के विद्यालयीन विद्यार्थियों में सीखने की दिव्यांगता के स्वरूप एवं व्यापकता का मूल्यांकन" के प्रतिवेदन राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो चुके हैं तथा परीक्षण उपरांत प्रस्तुत अनुशंसाएँ एवं सुझाव विभागों से साझा किये जायेंगे।

i. छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की सूक्ष्म कृषि का आंकलन

छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की सूक्ष्म कृषि का आंकलन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. विभिन्न सिंचाई विधियों (सतही सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई) में गन्ना की कास्तकारी लागत की गणना करना
2. उर्वरकों स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई की लागत पर दिये जाने वाले अनुदान पर निजी और सामाजिक लागत का अनुमान लगाना
3. विभिन्न सिंचाई पद्धतियों में गन्ना की खेती की संसाधन उपयोग दक्षता का अनुमान लगाना
4. गन्ना उत्पादन के लिए उर्वरकों की मांग तथा उस पर दिये जाने वाले अनुदान पर प्रभाव की गणना करना
5. गन्ना उत्पादन और विपणन में आने वाले अवरोधों की पहचान करना।

ii. छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अनुदान की मात्रा

छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अनुदान की मात्रा का अन्वेषणात्मक अध्ययन गत कुछ वर्षो से देखा गया है। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में विनियोग बढ़ा है, साथ ही अनुदान की मात्रा भी बढ़ी है। अध्ययन के निम्नांकित प्रमुख उद्देश्य हैं :–

1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुदान का आंकलन
2. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदान के संबंध में किसानों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना।

iii. रायपुर, छत्तीसगढ़ के विद्यालयीन विद्यार्थियों में सीखने की दिव्यांगता के स्वरूप एवं व्यापकता का मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

1. पाँच से दस वर्ष की आयु के विद्यालयीन बच्चों के बीच सीखने में आने वाली कठिनाई की पहचान करना
2. सीखने की दिव्यांगता की व्यापकता दर एवं उसके प्रकार और सीखने की कठिनाईयों को जानना
3. रायपुर जिले के सामान्य स्कूली बच्चों में सीखने की दिव्यांगता वालों बच्चों की सही संख्या प्राप्त करना
4. शिक्षा का अधिकार कानून–2009 के पारित होने के पश्चात् ऐसे बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं प्रावधानों का अध्ययन

iv. स्वामी विवेकानंद युवा विकास केन्द्र– प्रेरण इकाई ;च्पसवजद्ध (विशेष संदर्भ–बिलासपुर जिले का तखतपुर विकासखंड)

स्वामी विवेकानंद युवा विकास केन्द्र– प्रेरण इकाई ;च्पसवजद्ध के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. प्रेरण इकाई (Pilot) के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद युवा विकास केन्द्र के माध्यम से एक मॉडल विकसित कर चुनौतियों के निवारण तथा राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करना।
2. अध्ययन के अंतर्गत केन्द्र द्वारा संचालित गतिविधियाँ प्राथमिक स्तर पर छः माह तक संचालित करना।

विभिन्न विभागों के साथ मिलकर नवप्रवर्तनों के लिये पायलेट कार्यक्रमों का आयोजन

Conduct Pilot Projects for innovations along with Different Departments

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा अनुभव किया गया कि प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं हैं, जिनकी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता होती है। आयोग द्वारा ऐसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं तथा संबंधित विभाग के साथ मिलकर पायलेट के रूप में त्रिपक्षीय कार्यक्रम किये जाते हैं अथवा ऐसी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर आवश्यकतानुरूप विशेषज्ञता/सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु सहयोग (Facilitate) किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :–

i. परंपरागत सामुदायिक चिकित्सा पेशेवरों का स्वैच्छिक प्रमाणीकरण
(Voluntary Certification of Traditional Community Medical Professionals)

ii. सतत विकास के लिये प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना

iii. सेमका (Commonwealth Educational Media Centre for Asia-CEMCA) के सहयोग से राज्य में कौशल विकास हेतु परियोजना पर चर्चा

i. परंपरागत सामुदायिक चिकित्सा पेशेवरों का स्वैच्छिक प्रमाणीकरण

Voluntary Certification of Traditional Community Medical Professionals

राज्य योजना आयोग की पहल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत गठित क्वालिटी कन्ट्रोल ऑफ इण्डिया के सहयोग से पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य वनौषघि बोर्ड द्वारा परंपरागत सामुदायिक चिकित्सा व्यवसायियों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण करने की दिशा में प्रांरभ की गई पायलेट परियोजना के प्रथम चरण का वित्त पोषण राज्य योजना आयोग द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य के परंपरागत ज्ञान के अभिलेखीकरण व प्रदेश की विलुप्त हो रही औषधीय प्रजातियों के संरक्षण, संर्वधन, नये अनुसंधान तथा विकास पर रणनीति निर्धारण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

उद्देश्य

- परंपरागत सामुदायिक चिकित्सा पेशेवरों के स्वैच्छिक पहचान एवं औषधीय ज्ञान का प्रमाणीकरण इसका मूल उद्देश्य है।

लक्ष्य

- वास्तविक लोक परंपरागत वैद्यों के औषधीय ज्ञान और उपयोग की पहचान करना तथा उनकी संख्या की सही एवं सटीक जानकारी एकत्र करना।
- संबंधितों से व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा चिकित्सीय ज्ञान की जानकारी एकत्रित करना,
- शोध के दौरान प्राप्त ज्ञान का अभिलेखीकरण करना ताकि स्वास्थ्य विभाग को सुझाव दिया जा सके।
- औषधीय पौधों के वर्तमान ज्ञान का भी अभिलेखीकरण करना जिससे भावी शोध को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारतीय विरासत की समकालीन प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा लोक स्वास्थ्य परंपरागत ज्ञान के अभिलेखीकरण के रूप में एक अभिनव कार्यक्रम की रचना एवं कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका सीधा प्रभाव आने वाले वर्षों में समाज पर दिखेगा।

ii. सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना

Bringing Quality in Higher Education through Technology for Sustainable Development

कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया– सेमका (Commonwealth Educational Media Centre for Asia-CEMCA) की ऑनलाईन प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के क्षेत्र में विशेषज्ञता है, देश की उच्च शिक्षा से जुड़ी कई संस्थाएं सेमका के साथ मिलकर कार्य कर रही है। राज्य

योजना आयोग के प्रस्ताव पर बिलासपुर विश्वविद्यालय सेमका के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण का पायलट के रूप में वित्त पोषण राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। तकनीकी सहयोग सेमका द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2018 से बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना सेमका के तकनीकी सहयोग से तथा अपने संसाधनों से चलाई जायेगी।

पायलेट परियोजना के उद्देश्य

- ई–लर्निंग के माध्यम से शैक्षणिक विकास के लिए भागीदारी, क्षमता, क्षमता सामग्री और मॉडल प्रदान करना,
- ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से शिक्षार्थी को सीखने के लिए पहुंच प्रदान करना,
- शिक्षार्थी के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना,
- गुणवत्ता शिक्षा एवं बेहतर सीखने के अवसरों के लिए संसाधनों को पहुंच में लाना और विकसित करना,
- रोजगार एवं उद्यमिता पर सहायता प्रदान करना,
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकसित करने एवं बनाये रखने के लिए शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना,
- सामाजिक रूप से प्रासंगिक कौशल शिक्षा प्रदान करना एवं औद्योगिक संबंध स्थापित करना

पायलेट परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित गतिविधियाँ

- ई–सामग्री तथा विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा प्राध्यापकों एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिये कार्यशाला का आयोजन
- विभिन्न पोर्टलों में उपलब्ध विभिन्न ई–सामग्री की जानकारी प्राप्त करने के लिये सेमका संस्था का सहयोग प्राप्त करना
- विषय विशेषज्ञों द्वारा आलेख की तैयारी के लिये स्टूडियो/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के केन्द्रों की पहचान करना
- विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो व्याख्यान की तैयारी एवं विश्वविद्यालय की नीति अनुसार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों से उनके अध्ययन स्त्रोतों की आवश्यकता का पता लगाना
- समय–समय पर प्रशिक्षण/कार्यशाला के माध्यम से प्राध्यापकों का क्षमतावर्धन

  खुली एवं डिजिटल शिक्षा के लिये ई–वीडियो तैयार करने हेतु विषय अनुरूप विशेषज्ञों से संबंधित जानकारी एकत्र करना।
- ई–अध्ययन के परिणामों की जानकारी प्राप्त करना।

iii. सेमका (Commonwealth Educational Media Centre for Asia-CEMCA) के सहयोग से राज्य में कौशल विकास हेतु परियोजना पर चर्चा

सेमका (Commonwealth Educational Media Centre for Asia-CEMCA) एक गैर सरकारी संगठन संस्था है, जिसकी अन्य क्षेत्रों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता है तथा कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ–साथ उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर कौशल विकास की परियोजना पर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी आवश्यकतानुरूप सेमका की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिये आयोग द्वारा पहल की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण तथा सेमका पृथक से बैठक कर निर्णय लेंगे कि प्राधिकरण, सेमका से किन क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग ले सकता है और इसका स्वरूप क्या होगा।

कार्यदलों एवं स्थायी कार्य समूहों का गठन

Constitution of Task Forces & Standing Working Groups-SWGs

प्रदेश के विकास में सुझाव देने के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा कृषि, उद्योग, सामाजिक एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में देश एवं प्रदेश के विख्यात विषय विशेषज्ञों की अध्यक्षता में निम्नाकिंत कार्यदलों (Task Forces) का गठन किया गया है:

i. कृषि, पर्यावरण, वानिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास
ii. उद्योग, कौशल विकास, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा तथा रोजगार
iii. गरीबी उन्मूलन
iv. सामाजिक क्षेत्र का विकास

क्षेत्र विशेष के अध्ययन तथा उससे संबंधित सुझाव प्राप्त करने के लिये प्रत्येक कार्यदल के अंतर्गत स्थायी कार्यसमूहों का गठन भी किया गया है। कार्यदलों के अंतर्गत गठित स्थायी कार्यसमूहों का विवरण निम्नानुसार :–

i. कृषि, पर्यावरण, वानिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास

1. फसलों, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी एवं अन्य संबंधित शिक्षा, शोध एवं विकास गतिविधियों में परिवर्तन
2. कृषि विस्तार प्रबंधन प्रणाली में सुधार
3. कृषिजन्य व्यवसाय का संस्थागत प्रबंधन एवं मूल्य वृद्धि प्रणाली
4. कृषि–वानिकी, लघुवनोपज, जैव विविधता एवं वन परिस्थितिकी
5. सतही व भू–जल का स्वामित्व व युक्तिकरण
6. जलीय–भूमि संरक्षण व प्रबंधन
7. स्थानीय स्ववित्त पोषित संस्थाओं का विकास में योगदान

ii. उद्योग, कौशल विकास, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा तथा रोजगार

1. खनिज रासायनिक एवं वृहद् उद्योग
2. इलेक्ट्रानिक्स निर्माण
3. शिक्षा एवं नियोजनीयता का विस्तार
4. कौशल तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास
5. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉटवेयर उद्योग
6. मैकनिकल, ऑटोमोबाईल एवं आटो कंपोनेन्ट उद्योग
7. नगरीय एवं आधारभूत संरचना

iii. गरीबी उन्मूलन

1. गरीबी उन्नमूलन से संबंधित वर्तमान कार्यक्रमों और योजनाओं का मूल्यांकन
2. गरीबी उन्नमूलन में महिला स्व–सहायता समूहों की भूमिका
3. स्वास्थ्य एवं गरीबी का अंतर्सम्बंध

iv. सामाजिक क्षेत्र

1. महिला एवं लैंगिक विषयों का अध्ययन
2. अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की स्थिति, कल्याण एवं विकास का अध्ययन
3. दिव्यांग तथा उपेक्षित वर्गो की स्थिति एवं पुर्नवास का अध्ययन
4. बाल, किशोर एवं युवाओं की स्थिति तथा उनके लिये संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन
5. शिक्षा गुणवत्ता की स्थिति एवं उन्नयन का अध्ययन
6. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी कार्यक्रमों की पहुंच एवं प्रभाव का अध्ययन
7. कौशल विकास एवं रोजगार में बेहतरी हेतु नवीन संभावनाओं का अध्ययन
8. सामाजिक क्षेत्र में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
9. सामाजिक रक्षा, अपराध एवं पुलिस सुधार

प्रत्येक कार्यदल के अंतर्गत गठित विभिन्न स्थायी कार्यसमूहों की वर्ष में निरन्तर बैठकें आयोजित हुई हैं। स्थायी कार्य समूहों (Standing Working Groups-SWGs) के द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के आधार पर कार्यदलों के प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। प्रतिवेदन तैयार होते ही विभिन्न कार्यदलों द्वारा राज्य योजना आयोग को प्रतिवेदनों में दी गई अनुशंसाओं में से जिन अनुशंसाओं को राज्य योजना आयोग द्वारा उचित समझा जायेगा उन्हें संबंधित विभाग से साझा किया जायेगा।

अंशकालीन सलाहकार योजना

(Part Time Consultant Scheme)

प्रदेश में विकास के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शोध कार्यों के लिये प्रदेश के शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों को बढ़ावा देने हेतु तथा प्रदेश के विकास में स्थानीय परिस्थितियों से जुड़े विशेषज्ञों से शोध आधारित सुझाव प्राप्त करने हेतु राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा अंशकालीन सलाहकार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों, विशेषज्ञों की सेवाएँ अंशकालीन सहायक के रूप में ली जाती हैं। इच्छुक प्राध्यापकों, विशेषज्ञों द्वारा शोध प्रस्ताव राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात् मान. उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee) के अनुमोदन उपरांत राज्य योजना आयोग द्वारा शोध प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है। संबंधित प्राध्यापक, विशेषज्ञ अपनी मूल पदस्थापना में कार्य करते हुए राज्य योजना आयोग के साथ अंशकालीन सलाहकार के रूप में जुड़कर कार्य करते हैं।

योजना के अंतर्गत आयोग को 9 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं तथा 10 प्राध्यापकों द्वारा योजना के अंतर्गत कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। 9 शोध प्रस्तावों में से 6 के अनुमोदन की कार्यवाही प्रगति पर है तथा योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिये सहमत प्राध्यापकों को सूचित किया गया है कि वे राज्य के सामाजिक, आर्थिक, कृषि तथा तकनीकी विकास से संबंधित विषयों पर अपने शोध प्रस्ताव, आयोग को प्रस्तुत करें। प्रस्ताव राज्य की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कृषि इत्यादि क्षेत्रों के नीति निर्माण में सहायक होने चाहिए।

विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों, कार्यशाला एवं कॉनक्लेव का आयोजन

Organization of Seminars, Workshops and Conclave on Different Subjects

सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राज्य के नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने तथा अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा समय–समय पर गोष्ठियों, कॉनक्लेव इत्यादि का आयोजन किया जाता है। आयोग द्वारा आयोजित किये गये ऐसे प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :–

i. पोषण पर कार्यशाला–दिनांक 15 सितम्बर, 2015
ii. राज्य योजना संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय कॉनक्लेव–दिनांक 22 नवम्बर, 2016
iii. छत्तीसगढ़ के आर्द्र संसाधनों का संरक्षण–दिनांक 2–3 फरवरी, 2017
iv. सतत विकास लक्ष्य एवं प्रशासनिक सुधार पर राष्ट्रीय परामर्श–दिनांक 3–4 अगस्त, 2017
v. बच्चों के लिये नवाचार पर राष्ट्रीय कॉनक्लेव–दिनांक 21–22 सितम्बर, 2017
vi. राज्यों की कार्यवाही हेतु सतत विकास लक्ष्य की भविष्य की योजना पर राष्ट्रीय कॉनक्लेव–दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 नई दिल्ली

i. ''पोषण- विकास का प्रथम लक्ष्य'' पर परामर्श कार्यक्रम

Consulation on "Nutrition- The First Milestone to Development"

राज्य योजना आयोग द्वारा यूनीसेफ, कन्जरवेशन कोर सोसायटी तथा समर्थ, नागरिक सामाजिक संस्था (Civil Society Organigation-CSO) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पोषण पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परामर्श कार्यक्रम की अनुसंशाओं में से एक प्रमुख अनुशंसा राज्य में ''पोषण मिशन'' के गठन की थी। इस अनुशंसा को क्रियान्वित करते हुये राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण मिशन का गठन किया गया है।

ii. राज्य योजना संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय कॉनक्लेव

National Conclave on The Role of State Planning Organization

राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग, भारत सरकार के नीति आयोग के रूप में परिवर्तित होने के बाद नये परिवेश में, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा ''राज्य योजना आयोगों एवं मंडलों की भूमिका पर राष्ट्रीय कॉनक्लेव'' का आयोजन दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को योजना भवन, नया रायपुर में किया गया। कॉनक्लेव में 19 राज्यों द्वारा भागीदारी की गई। कॉनक्लेव में राज्य योजना आयोगों/मंडलों के मान. उपाध्यक्ष तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। कॉनक्लेव में प्रतिभागियों द्वारा चर्चा उपरांत आम सहमति वाले बिन्दुओं पर निम्नानुसार ''रायपुर घोषणा पत्र'' (Raipur Declaration) जारी किया गया।

iii. छत्तीसगढ़ के आर्द्र संसाधनों का संरक्षण

Conservation of Wetland Resoures of Chhattisgarh

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2017 को विश्व ''आर्द्र भूमि दिवस'' (World Wetland Day) के अवसर पर 'छत्तीसगढ़ के आर्द्र संसाधनों का संरक्षण' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 2 एवं 3 फरवरी, 2017 को योजना भवन में किया गया।

इस अवसर पर मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विविध आर्द्र संसाधनों के संरक्षण पर विचार–विमर्श के साथ निम्नांकित आर्द्र भूमि संरचनाओं को रामसर साईट के रूप चिन्हित करवाने की अनुशंसा की गई।

1. रतनपुर के तालाब समूह, बिलासपुर
2. कमल खेती वाले तालाब, धमतरी
3. दलपत सागर, जगदलपुर
4. कुटुम्बसर गुफा, जगदलपुर

प्रथम रतनपुर, बिलासपुर के तालाबों को रामसर साईट के रूप में चिन्हांकित करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु कार्यवाही करने के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा संबंधित, आवास एवं पर्यावरण विभाग को लेख किया गया है। कार्यवाही में अवश्यकतानुरूप राज्य योजना आयोग द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जायेगा।,

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 2 एवं 3 जून, 2017 को आयोजित आर्द्र भूमि कार्यशाला की प्रमुख अनुशंसा आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु प्रदेश में आर्द्र भूमि प्राधिकरण की आवश्यकता पर कार्यवाही करते हुए शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है।

iv. ''सतत विकास लक्ष्य (SDG) एवं प्रशासनिक सुधार'' पर राष्ट्रीय परामर्श

National Conclave on SDG and Administrative Reforms

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ एवं नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के संयुक्त साझेदारी से ''सतत विकास लक्ष्य'' (SDG) एवं ''प्रशासनिक सुधार'' पर दिनांक 03 एवं 04 अगस्त 2017 को दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन योजना भवन, नया रायपुर में किया गया। परामर्श कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों/संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था। परामर्श उपरांत निकले निष्कर्ष को रायपुर घोषणा पत्र के रूप जारी किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य एवं प्रशासनिक सुधार पर रायपुर घोषणा पत्र

हम, सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि जो कि दिनांक 3 एवं 4 अगस्त, 2017 को नया रायपुर में एकत्रित हुये, स्वीकार करते हैं कि समावेशी और गरीब हित समर्थक विकास के विचार हमारे संविधान एवं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 के अभिन्न अंग हैं।

हम पुष्टि करते है कि सतत विकास लक्ष्यों को संदर्भो के अनुसार तथा स्थानीय बनाने के प्रयासएक केन्द्रित अवधारणा में प्रत्येक राज्य के विकास की विशिष्ठ आवश्यकता को प्राप्त करने के लिये संस्थाओं एवं क्रियान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करते हुय शासन एवं प्रशासन में सुधार के साथ–साथ आगे बढ़ने चाहिये।

हमनें इन मुद्दों पर नया रायपुर में विचार विमर्श किया एवं सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का संकल्प लियाः–

1. सभी हित धारकों के क्षमता संवर्धन के साथ सम्मिलित कार्यवाही–सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रयास में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से लेकर नीति निर्धारकों (राजनीतिक कार्यकारियों को सम्मिलित करते हुये) तक, पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिये;
2. कुशलता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये ग्रामीण एवं शहरी, स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सार्वजनिक कार्रवाईयों का अभिसरण आवश्यक है;
3. निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाओं एवं समुदायों की सक्रिय भूमिका के साथ स्थानीय स्तर पर समस्त संसाधनों को जुटाते हुये, सार्वजनिक व्यय में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता को सुनिश्चित करना;
4. उत्तरदायी एवं जनकेन्द्रित शासन को सुगम बनाने की योग्यता होने के कारण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तकनीक निर्धारक भूमिका अदा करेगी; इसलिये सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने तथा शासन के लिये तकनीक के सृजन, विकास, उपयोग एवं अनुरूपण हेतु किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा;
5. भविष्य में श्रेष्ठतर निर्णय लेने हेतु परिणामों के अनुश्रवण के लिये सूचना तंत्र आवश्यक है, और इस प्रकार वैकल्पिक प्रक्रियाओं सहित आंकड़ों के संग्रहण की कुशलता में सुधार लाना आवश्यक है;
6. सार्वजनिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं सामुदायिक संस्थाओं को मिलकर सतत विकास

लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अभिसारित प्रयास करना होगा; ऐसे प्रयासों को व्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर सामाजिक कार्रवाई के केन्द्र बिन्दु के रूप में एक 'केन्द्र' की स्थापना की जानी होगी;

7. सामाजिक अंकेक्षण एवं समुदाय आधारित अनुश्रवण पद्धति को, विशेषरूप से युवाओं के साथ मिलकर, संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

हम मानते है कि उपरोक्त सिद्धांत, सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने की दिशा में एक अधिक सुसंगत, सामाजिक दृष्टिकोण बनाने में सहायता करेंगे, एवं एक समावेशी एवं न्यायसंगत समाज बनाने एवं व्यवस्थित रखने में मार्गदर्शन देगें।

v. बच्चों के लिए नवाचार पर राष्ट्रीय परामर्श

National Consultation on Innovating for Children

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, तथा यूनीसेफ, छत्तीसगढ़ के संयुक्त प्रयास से दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर, 2017 को ''बच्चों के लिए नवाचार'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉनक्लेव (बैठक) का आयोजन, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में निर्धारित उद्देश्य के अंतर्गत चार बिन्दुओं– बच्चों के नवाचार एवं उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता में राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श हेतु इन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों/संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया था। परामर्श उपरांत निकले निष्कर्ष को रायपुर घोषणा पत्र के रूप जारी किया गया है जो निम्नानुसार है :–

हम, केंद्रीय और राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संगठन, संस्थागत इकाइयों, नागरिक समाज और नवाचार से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, विशेषकर कमजोर, सीमान्त/हाशिए और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी से संबंधित तात्कालिक और उभरती हुई चिंताओं पर सोच–विचार, समाधान एवं मॉडल हेतु 21 एवं 22 सितंबर, 2017 को रायपुर में एकत्रित हुए।

हम प्रतिबद्ध है कि सभी बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण माहौल में स्वस्थ तरीके से विकास का अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त हो तथा उनका सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, भेदभाव तथा नैतिक एवं दैहिक शोषण से संरक्षण हो,

हम, सर्वसम्मति से घोषणा करते हैं:–

1. कोई भी बच्चा पीछे ना छुटे अतः प्रत्येक बच्चे को उसके जीवन के पहले 1000 दिनों को विशेष महत्त्व देते हुए सुरक्षित, संरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ, सहायक, समावेशी और उपर्युक्त वातावरण में जीवित रहने, सीखने तथा जीवन में अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने का उचित अवसर प्राप्त हो,
2. बच्चों की उत्तरजीविता और विकास के लिए एक सक्षम माहौल बनाने की दिशा में विस्तृत एवं अंतर्क्षेत्रिय नीतियों और योजनाओं को विकसित करने हेतु पूर्व मानसिकता के पुनर्विन्यास, एकी.त प्रयास एवं आह्वान की शीघ्र आवश्यकता है

3. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 और सतत विकास लक्ष्य में विधिवत वर्णित बच्चों से संबंधित मुद्दों के अनुरूप साक्ष्य आधारित, अनुकरणीय, स्तरीय एवं टिकाऊ समाधान विकसित करने के लिए बच्चों के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है
4. योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतराल की पहचान और उसको संबोधित करने हेतु अभिशासकीय समाधान के लिए, समुदायों पर विश्वास और उनके सशक्तिकरण करने के साथ ही साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संगठित समुदाय आधारित तंत्रों से जुड़े नवीन भागीदारी मॉडल निर्मित करने की आवश्यकता है।
5. बच्चों एवं उनकी आयु सम्बंधित सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमता और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ पर्याप्त कुशल मानव और अन्य संसाधनों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर नीतियों और कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करना है।
6. परिवारों को पालक कौशल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के साथ मजबूत और सशक्त करना, ताकि संस्थानीकरण केवल अंतिम उपाय ही बन पाए। हमारा विश्वास है कि नवाचारों के प्रमाण, नीति और कार्यक्रम की रुपरेखा बनाने हेतु आधार बन सकते हैं। हम सभी हितधारकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे पर्याप्त वित्तीय संसाधन का आबंटन, पुनः प्राथमिकता निर्धारण, पुनर्निर्माण और अभिसरण कर करें तथा उक्त बजट का कुशलतम उपयोग हो।

हम आश्वस्त हैं कि संकल्प पर सभी हितधारकों की जुनूनी प्रतिबद्धता भारत के प्रत्येक बच्चे को सक्षम बनने एवं बनाने हेतु समान अवसर और पहुंच प्रदान करेगी तथा दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषण, गरीबी एवं उपेक्षा से मुक्त पर्यावरण प्रदान करेगी, जिससे वे विकसित हो सकें।

vi. राज्यों की कार्यवाही हेतु सतत् विकास लक्ष्य की भविष्य की योजना पर राष्ट्रीय कॉनक्लेव- दिनांक 19-20 दिसम्बर, 2017 नई दिल्ली

सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के क्षेत्र में कार्य करने हेतु संयुक्त परियोजना के भागीदार "नेशनल फाउण्डेशन ऑफ इंडिया" (NIF) के नेतृत्व के यू. एन. नीति आयोग, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश एवं किला (Kerala Institute of Local Administration-KILA) के साथ मिलकर संयुक्त तत्वाधान में "राज्यों की कार्यवाही हेतु सतत विकास लक्ष्य की भविष्य की योजना" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉनक्लेव का आयोजन, दिनांक 19–20 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली में किया गया। कॉनक्लेव में राज्यों में सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, चुनौतियों एवं संभावनाओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में अन्यों के अलावा मान. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार तथा नीति आयोग, एन.एफ.आई, यू.एन. किला एवं सहभागी राज्यों, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचार रखे गये।

शासकीय/अशासकीय विभिन्न संस्थाओं के साथ संयुक्त गतिविधियाँ

Joint Activities alongwith Different Institutions

राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य हित में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर कई परियोजनाएँ की जा रही है। राज्य योजना आयोग द्वारा तीन संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय तथा एक अशासकीय संस्था के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

i. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकादमी, रायपुर
ii. प्रिया, नई दिल्ली
iii. नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली
iv. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

i. छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी

Chhattisgarh Academy of Administration

एक दूसरे को सहयोग करने तथा कार्य करने के समान क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के लिये राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी के मध्य समझौता किया गया है। समझौते के प्रमुख बिन्दू निम्नानुसार हैं :–

1. राज्य योजना आयोग के तकनीकी अधिकारी, सदस्य तथा सलाहकार संकाय सदस्य के रूप में अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे।
2. प्रशासन अकादमी के संकाय सदस्य, जिसमें अतिथि विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे, आयोग को सहायक सलाहकार के रूप में सहायता देंगे।
3. आयोग एवं अकादमी, दोनो संस्थाओं में तकनीकी क्षमता एवं संसाधनों को विकसित करने तथा सुदृढ़ करने के लिये एक दूसरे को सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे।
4. दोनों संस्थाएँ, संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से, जहां आवश्यक हो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर, मानार्थ अथवा पूरक रूप में किसी तीसरी संस्था, जो कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है से राशि प्राप्त कर सकती हैं।

ii. सोसायटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया-प्रिया, नई दिल्ली

Society for Positive Research in Asia-PRIA, New Delhi

सोसायटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया–प्रिया, नई दिल्ली तथा राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के मध्य समझौता किया गया है।

उद्देश्य

समुदाय आधारित सहभागी अनुसंधान के लिये, जो कि राज्य के समाजिक–आर्थिक विकास के प्रभावी

क्रियान्वयन के लिये ज्ञान में सुधार करता है, राज्य के शैक्षणिक समुदाय एवं अन्य कर्ताओं का क्षमतावर्धन करना। दोनों मिलकर निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करेंगे :–

1. अनुसंधान के क्षेत्र में युनेस्को अध्यक्ष की तकनीक को सम्मिलित करते हुए शोध क्षमता का निर्माण करना।
2. ज्ञान के विकास में सहयोग करना।
3. पाठ्यचर्चा सुधार तथा शिक्षा विज्ञान के विकास में सहयोग करना
4. राज्य एवं जिला स्तर पर सभी हित धारकों से चर्चा
5. ज्ञानपूर्ण साहित्य का प्रकाशन

iii. नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया

National Foundation for India

छत्तीसगढ़ शासन एवं नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के संयुक्त साझेदारी में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के क्षेत्र में कार्य करने हेतु समझौता किया गया है। समझौते के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

1. राज्य नियोजन प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों का समेकन एवं एकीकरण।
2. राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों एवं सतत विकास लक्ष्यों के मध्य तालमेल एवं ओवरलैप क्षेत्रों की पहचान।
3. सतत विकास लक्ष्यों पर जानकारी एवं उन्मुखीकरण हेतु अधिकारियों के लिए क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
4. पंचायती राज संस्थाओं का सतत विकास लक्ष्यों पर उन्मुखीकरण एवं स्थानीय निकायों के मुद्दों को SDG में शामिल करना। सतत विकास लक्ष्यों को आम नागरिकों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार समाग्री तैयार करना।

परियोजना हेतु नेशनल फाउण्डेशन फॉर इंडिया द्वारा परियोजना की दो वर्ष की अवधि के लिये परियाजना से संबंधित कार्यो के संचालन हेतु रू. 60.00 लाख (रू. साठ लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत राज्य योजना आयोग को मानव संसाधन के रूप में एक प्रमुख सलाहकार एवं एक सलाहकार उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना के अंतर्गत संपादित कार्य

1. सतत विकास लक्ष्यों पर विभिन्न हितधारकों के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम

सतत विकास लक्ष्यों पर समझ तथा संभावित रणनीतियों पर विभिन्न स्तरों जैसे राज्य / संभाग / जिला स्तर पर विभिन्न हितधारकों के क्षमता विकास संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2. सतत विकास लक्ष्यों पर प्रचार-प्रसार सामाग्री

सतत विकास लक्ष्यों के प्रचार प्रसार तथ जन सामान्य तक इसकी पंहुच सुनिश्चित करने के लिये प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार की गई है। प्रचार सामग्री का विमोचन मान. मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुये, प्रचार सामग्रियों में, क्षेत्रीय बोलियां जैसे छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी तथा हिन्दी भाषा में रेडियो जिंगल्स व विडियो स्पॉट्स तैयार किये गये। साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों की सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों ;क्ळळद्ध के साथ मैपिंग करते हुए एक बुकलेट (जानकारी व प्रशिक्षण में उपयोग हेतु) तैयार की गई एवं उसका वितरण किया गया।

iii. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

वैश्विक प्रशिक्षण पहल ''नालेज फॉर चेंज'' (Knowledge for Change-K4C), (डॉ. बड हाल एवं डॉ. राजेश टण्डन, सह– अध्यक्ष यूनेस्कों, के निर्देशन में समुदाय अधारित शोध प्रशिक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ) की पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्थापना के लिये राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, सोसायटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (Participatory Research in Asia-PRIA) के साथ समझौता (Memorandum of Understanding-MoU) किया गया है। विश्वविद्यालय में "K4C" संघ (Consortium) की स्थापना के निम्नालिखित उद्देश्य हैं :–

1. संघ द्वारा एक सलाहकार प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जायेगा। कार्यक्रम में ऑनलाईन, प्रत्यक्ष आमने–सामने तथा क्षेत्र अनुसंधान सम्मिलित रहेगा।
2. संघ (Consortium) तीनों के मध्य वैश्विक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
3. संघ समकालीन सामाजिक चुनौतियों को शोध क्षमता के विकास पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की प्रशिक्षण पहलों के अनुरूप हल करना।

जिला योजना का सुदृढ़ीकरण

Strengthening of District Planning

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा सभी जिलों में ''जिला योजना'' तैयार करवायी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त जिला योजना को संकलित कर राज्य योजना तैयार कर वित्त विभाग से साझा की जाती है।

जिला योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियॉं

1. सभी जिलों द्वारा जिले के स्थिति विश्लेषण के साथ, सात क्षेत्रकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन, नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण के बिन्दुओं पर प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

2. वर्ष 2018–19 की सतत विकास लक्ष्य आधारित जिला वार्षिक योजना तैयार कराने के लिए सभी 5 संभागों में संभाग स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके पश्चात् जिलों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर ऐसी ही प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

DMF Fund से वंचित जिलों के लिये विशेष प्रावधान

जिला खनिज न्यास फण्ड (District Mineral Foundation Fund- DMF Fund) के अंतर्गत जिन जिलों को नगण्य या कम राशि प्राप्त होती है ऐसे 5 जिलों गरियाबंद बेमेतरा, मुंगेली, धमतरी एवं महासंमुद जिला को वर्ष 2017–18 में नवाचार तथा स्थानीय महत्व के कार्यो पर व्यय करने के लिये नव प्रवर्तन अथवा सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण कार्य ;ब्तपजपबंस हंच पिससपदहद्ध करने हेतु कुल रू. 35.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। जिलों को जारी की गई राशि निम्नानुसार हैं :–

जिला खनिज न्यास फण्ड के पूरक के रूप में जिलों को आंबटित राशि

क्र.	जिले का नाम	राशि (रू. करोड़ में)
1	गरियाबंद	9.00
2	धमतरी	6.00
	महासंमुद	2.00
3	बेमेतरा	9.00
4	मुंगेली	9.00
5	**कुल**	**35.00**

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति

(Project Formulation and Implementation Committee- PFIC)

1. गठन

राज्य में विभिन्न विभागों के विकास कार्य एवं जनहित योजनाओं पर विचार कर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के परीक्षण तथा समीक्षा हेतु 13 सितम्बर, 2010 को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा रू. 25.00 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजीगत लागत वाली योजनाओं/परियोजनाओं का परीक्षण करने के लिये ''परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति'' (Project Formulation and Implementation Committee- PFIC) का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के आदेश दिनांक 23 मार्च, 2011 द्वारा पूंजीगत लागत सीमा को रू. 25.00 करोड़ से बढ़ाकर रू. 50.00 करोड़ किया गया है। सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ इस समिति का सदस्य सचिव है और राज्य योजना आयोग समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

PFIC समिति द्वारा योजना/परियोजना की आवश्यकता, उससे राज्य को होने वाला लाभ उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता (Viability) आदि बिन्दुओं पर विचार किया जाता है।

PFIC समिति उपरोक्तानुसार निर्धारित वित्तीय लागत अथवा उससे अधिक वित्तीय लागत की योजनाओं/परियोजनाओं, जो वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही है, की भी समय–समय पर समीक्षा कर सकती है।

2. वर्तमान स्थिति

वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की कुल 08 बैठके आयोजित की गईं। आठ बैठकों में रू. 3,164.61 करोड़ (रू. तीन हजार एक सौ चौंसठ करोड़ एकसठ लाख) के कुल प्रन्द्रह प्रस्ताव आये, जिसमें से रू. 2503.63 करोड़ (रू. दो हजार पांच सौ तीन करोड़ तिरसठ लाख) के बारह प्रस्तावों पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की प्रारंभ से लेकर दिसम्बर, 2017 तक 25 बैठकें आयोजित हुई हैं। इन बैठकों में समिति के अनुमोदन हेतु विभागों से प्राप्त 100 प्रस्ताव रखे गये, जिसमें से 72 प्रस्तावों पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। शेष प्रस्ताव कारण दर्शाते हुये पुनर्विचार करने अथवा संशोधन के साथ पुनः आगामी बैठक में रखने हेतु विभागों को वापस किये गये।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति (Project Formulation and Implementation Committee-PFIC) के समक्ष अनुमोदन हेतु आई 100 परियोजनाओं की कुल लागत रू. 13891.28 करोड़ (तेरह हजार आठ सौ इक्यानवे करोड़ अठ्ठाईस लाख रू.) है। इसमें से रू. 9147.22 करोड़ की 72 परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की गई है।

सहमति प्रदत्त 72 परियोजनाओं का उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

परियोजनाओं की संख्या एवं लागत

क्र.	विवरण	परियोजनाओं की संख्या	राशि (रू. करोड़ में)	प्रतिशत
1	सड़क परियोजनाएं	37	3403.67	37.21
2	बाईपास रोड	03	182.96	2.00
3	रेल्वे ओव्हर ब्रिज	02	170.75	1.87
4	सिंचाई परियोजनाएं	12	2157.9	23.59
5	नल–जल परियोजनाएं	05	387.93	4.24
6	भवन निर्माण	05	606.83	6.63
7	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौ.	01	1125.00	12.30
8	अन्य	07	1112.18	12.16
योग		**72**	**9147.22**	**100**

भाग - दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2018-19

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2017–18	वर्ष 2017–18 का माह दिस. 2017 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2018–19
1	2	3	4	5	6
1.	मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष –3451				
	3686–राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर) मतदेय	457.00	457.00	255.74	541.54
	भारित	0.20	0.20	0.00	0.20
	योग :	**457.20**	**457.20**	**255.74**	**541.74**
	7639– राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	142.00	142.00	59.42	150.00
	योग :	**142.00**	**142.00**	**59.42**	**150.00**
2.	मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष – 3451				
	1. 7282– जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	71.00	71.00	13.36	75.00
	योग :	**71.00**	**71.00**	**13.36**	**75.00**
	2. 7876– जिलों में नवाचार तथा गैप फडिंग (आयोजना)	**0.00**	**3500.00**	**1394.00**	**0.00**
	योग :	**0.00**	**3500.00**	**1394.00**	**0.00**

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना

निरंक

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग - पाँच

अभिनव योजना

निरंक

भाग - छः

प्रकाशन

निरंक

भाग - सात

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ की बदली हुई भूमिका के अनुसार राज्य के विकास हेतु नीति निर्धारण के लिये आवश्यक शोध तथा योजनाओ के मूल्यांकन आदि के लिये प्रदेश की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से सहयोग लिय जा रहा है। नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के साझेदारी से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए क्षमता विकास एवं प्रचार –प्रसार की दिशा में आयोग प्रयासरत है।

भाग - एक (1)

राज्य योजना आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(01 जनवरी 2018 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य सचिव	प्रथम	37400–67000	10000	1	0	1	–
2	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
3	अंशकालीन सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
4	सलाहकार	प्रथम	37400–67000	8700	4	1	3	–
5	उप सचिव	प्रथम	15600–39100	7600	1	1	0	–
6	संयुक्त संचालक	प्रथम	15600–39100	7600	2	2	0	–
7	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	15600–39100	7600	1	1	0	–
8	अवर सचिव	प्रथम	15600–39100	6600	1	0	1	–
9	शोध अधिकारी	प्रथम	15600–39100	6600	3	0	3	–
10	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	15600–39100	5400	4	0	4	–
11	सहायक संचालक	द्वितीय	15600–39100	5400	2	1	1	–
12	प्रशासनिक अधिकारी	द्वितीय	15600–39100	5400	1	0	1	–
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय	9300–34800	4400	1	1	0	–
14	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	9300–34800	4200	1	0	1	–
15	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	9300–34800	4300	4	3	1	–
16	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	9300–34800	4300	1	0	1	–
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय	9300–34800	4300	2	2	0	–

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	2800	2	0	2	–
19	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	5200–20200	2800	1	1	0	–
20	अन्वेषक	तृतीय	5200–20200	2800	4	2	2	–
21	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	2800	1	1	0	–
22	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	2400	1	0	1	–
23	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	5200–20200	2400	2	1	1	–
24	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	5200–20200	2400	6	4	2	–
25	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	1900	4	1	3	–
26	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय	5200–20200	1900	1	1	0	
27	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ	4750–7440	1400	4	4	0	
28	दफ्तरी	चतुर्थ	4750–7440	1400	1	0	1	
29	भृत्य	चतुर्थ	4750–7440	1300	11	7	4	
30	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	
31	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	
32	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	
	योग				73	36	37	

उपाध्यक्ष स्थापना हेतु

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपाध्यक्ष	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
2	विशेष सहायक	प्रथम	15600–39100	6600	1	0	1	–
3	निज सचिव	द्वितीय	9300–34800	4400	1	0	1	–
4	निज सहायक	द्वितीय	9300–34800	4300	1	0	1	–
5	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	5200–20200	2400	1	0	1	–
6	वाहन चालक	तृतीय	5200–20200	1900	2	0	2	
7	भृत्य	चतुर्थ	4750–7440	1300	3	2	1	
	योग				10	3	7	
	महायोग				83	39	44	

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग - एक

सामान्य जानकारी एवं विभागीय संरचना

संचालनालय द्वारा इन कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है, बल्कि कार्यक्रम से संबंधित विभागों द्वारा ही योजनाएं संचालित की जाती है। वर्तमान में मात्र संबंधित योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेशित की जाती है। केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है। संचालनालय स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है, बल्कि संचालनालय के लिए स्वीकृत अमले से ही इसे अतिरिक्त कार्य के रूप में किया जाता है।

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यक्रम के प्रारंभ से (वर्ष 1975) में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी उपलब्ध है।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही।

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़(लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़(लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997
3. छत्तीसगढ़(लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991
4. छत्तीसगढ़(लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं–(राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है।

भाग - दो

कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 में 19960.00 हजार रूपयें का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष में 23 जनवरी 2018 तक 61 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :-

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1 रोजगार सृजन–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
   (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)।
   (ख) एसजीएयवाई के अंतर्गत अ.जा. अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता।

2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।
   (ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हें आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई है।

3. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण।
   (ख) अ.जा., अ.जा एवं अन्य को वितरित की गई बंजर भूमि।

4. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)
   (i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं (iii) सुधारी गई अनियमितताएं
   (ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

(ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णित अभियोजन केस

5. (क) खाद्य सुरक्षा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए

(ख) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)

(ग) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

(घ) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

7. ग्रामीण आवास –प्रधानमंत्री आवास योजना

8. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

9. (क) ग्रामीण क्षेत्र–एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

(ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11. संस्थानिक प्रसव,

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनबाड़िया (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16 (क) वनरोपण – रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

(ख) वनरोपण – रोपित पौधे (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई।

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति

वर्ष 2017–18 में जनवरी 2018 तक बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति की बैठक (राज्य स्तर पर–02 एवं जिला स्तर पर–04) आयोजित की गई है।